(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार को भी, जो हतनूर गांव के निकट ताप्ती नदी पर बांध बना रही है, जैनाबाद के निकट बांध की सतह को ऊपर उठाने के लिये कहेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अपर ताप्ती (हतनूर) परियोजना हतनूर और जैनाबाद के निकट काज़वे को प्रभावित करेगी । महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने इस मामले पर विचार किया और महाराष्ट्र सरकार, परियोजना लागत के अंश के रूप में, उस खर्चे को बर्दाशत करने के लिए सहमत हो गई है जो आवश्यकतानुसार हतनूर के निकट काज़वे को ऊँचा करने और जैनाबाद के निकट काज़वे को ऊँचा करने या उसके छोर के कनेक्शनों को सुधारने पर आयेगा ।

मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्पादन

4753. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में मध्य प्रदेश में खनिजों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में उक्त उत्पादन की मात्रा कितनी थी;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में खनिजों के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई विशिष्ट कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि तथा ह्रास की प्रतिशतता दिखते हुए 1967 और 1968 के कैलेन्डर वर्ष के दौरान उत्पादित मुख्य खनिजों की मात्राएं विवरण में दी गई हैं। वो सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या** LT–2455/69]।

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश राज्य में वैलाडिला में लौह अयस्क निक्षेपों, पन्ना में हीरो, बिलासपुर में बाक्साइट निक्षेपों के विकास की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

मध्य प्रदेश की तवा तथा सुकता परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

4754. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिकायत की है कि उनके द्वारा कई बार निवेदन किये जाने पर भी केन्द्रीय सरकार ने तवा तथा सुकता परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशि नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त शिकायत की जांच की है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सिंचाई परियोजनाएं राज्यों की विकासात्मक योजनाओं का अंग हैं और उनके आयोजन तथा कार्यान्वयन की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपनी योजना सीमाओं के अन्तर्गत ही करनी पड़ती है। चौथी योजना के आरम्भ से ही राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में है और यह विकास के किसी एकांकी शीर्ष से बंधी हुई नहीं है। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना अग्रताओं को साधारण तौर से बनाए रखा जाए, कुछ विशिष्ट स्कीमों के लिए परिव्यय पृथक-रक्षित कर दिए गए हैं। तदनुसार योजना आयोग

ने 1969–70 के दौरान तावा परियोजना के लिए 300 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है।

योजना आयोग ने अभी तक सुकता परियोजना को स्वीकार नहीं किया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता

4755. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस रूप में और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से उसके शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए इस प्रकार की विशेष वित्तीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन और विकास के लिए तथा स्वचालित (सेल्फ़-जेनरेटिंग) प्रकार से, मकानों के निर्माण के लिए, एक आवर्तक-निधि की स्थापना पर विचार करने के उद्देश्य से, इस विभाग ने राज्य सरकारों को, विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव मांगे थे, जिसके लिये प्रस्ताविक आवर्तक-निधि से धन दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्य में, लगभग 320 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, पांच स्थानों पर लगभग 400 एकड़ भूमि के अर्जन और विकास के लिए तथा मकानों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि आवर्तक निधि की स्थापना के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

RATES OF ELECTRICITY SUPPLIED TO ALUMINIUM FACTORIES

4756. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES & METALS be pleased to state :

(a) the approximate cost of electricity in the manufacture of one ton of aluminium factories in the Country, both in public and private Sectors;

(b) the rates of electricity in different aluminium factories in the country, both in public and private sectors;

(c) whether it is a fact that these rates are higher than the international rates, if so, the steps Government are taking to bring them down to the international level; and

(d) the load factor in an aluminium factory as against the same in other industries like textiles, steel and chemicals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI JAGANATH RAO) : (a) The approximate cost of electricity in the manufacture of one ton of aluminium depends upon the average rate per KWh applicable to a factory and the actual consumpion of electricity per ton of aluminium produced.

(b) A statement showing the rates of electricity applicable to the existing aluminium factories in India, is laid on Table of the House. (*Placed in Library See.* No. L.T. 2456/69.]

(c) the rates of electricity charged from the aluminium factories in India generally compare favourably with those charged in countries like Hungary, Poland, Japan etc. whereas the rates are on the high side when compared to those charged in countries like Canada, U.S.A. etc. Keeping in view current levels of costs of production, Electricity Boards are finding it difficult to offer any lower rates for aluminium producers.

(d) The load factor in aluminium industries is usually in the range of 90-95%. The load factors in the case of Textile,